# राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, झारखण्ड

**State Level Environment Impact Assessment Authority, Jharkhand**

पौधशाला परिसर, धुर्वा बस स्टैण्ड के समीप, पो0+थाना–धुर्वा, राँची, झारखण्ड, 834004

ई–मेल. mssciaa.jhk@gmail.com; वेबसाइट.www.jseiaa.in


सत्यमेव जयते

---

ज्ञापांक : 531 दिनांक : 25.11.2025

## सर्वसाधारण हेतु सूचना

एतद् द्वारा सभी परियोजना प्रस्तावक (Project Proponent), Qualified Person एवं NABET Accredited Consultant को सूचित किया जाता है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 की कंडिका 10 (i) एवं (ii) में वर्णित निर्देश के अनुपालन में प्रदत्त पर्यावरणीय स्वीकृति का Compliance Report प्रत्येक वर्ष 01 जुन एवं 01 दिसंबर को नियामक प्राधिकरण (Regulatory Authority i.e. SEIAA) में समर्पित करना अनिवार्य है। कतिपय ईकाइयों द्वारा Compliance Report ससमय समर्पित नहीं किया जा रहा है।

अतः माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा लोकहित याचिका W.P. (PIL) 2026/2021 में दिनांक 13.11.2025 को पारित न्याय निदेश के अनुपालन में राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA), झारखण्ड द्वारा प्रदत्त पर्यावरणीय स्वीकृति के समस्त ईकाइयों के परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाता है कि अर्द्धवार्षिक (Half Yearly) Compliance Report ससमय प्राधिकरण में समर्पित करना सुनिश्चित करें। अन्यथा पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 में निहित सुसंगत प्रावधानों के तहत विधिसम्मत कार्रवाई तथा पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्त्तो के उल्लंघन के आरोप में कारण पृच्छा देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति को Abeyance अथवा Withdrawal की कार्रवाई की जायेगी, जिसके लिए परियोजना प्रस्तावक स्वयं जिम्मेवार होगें।

Smithapankaj
25/11/25

**सदस्य सचिव,**
**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण,**
**झारखण्ड।**